न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आरएएस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 204/2023

1. राजेन्द्र | पिसरान | जाति जाट साकिन चक 5 एचएलएम तहसील पीलीबंगा
2. पालाराम | गिरधारी |
3. हस्तीराम | |
4. रजो देवी पत्नी गिरधारी | | राजस्थान ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकर पुत्र श्योकरण जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार (राजस्व) गोलूवाला तहसील पीलीबंगा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री शैलेन्द्र नायक — प्रार्थी
2. श्री जगराज सिंह भारी — अप्रार्थी संख्या 1
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा — अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 28/3/25

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्री शलेन्द्र कुमार नायक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता वहीं है जो उक्त प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है ।

यह कि प्रार्थीगण के नाम मु. खाता में कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 एचएलएम के खाता सं. 51/35 के प.नं. 115/376 (24) किला नं. 12 ता 14, 15/1, 15/2, 24/2, 25/2, 25/3, प.नं. 116/376 (25) किला नं. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 20, प.नं. 1171376 (26) किला नं. 17 ता 20, 21/2, 22/2, 2312, 24/2 की कुल 8.3000 हैक. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में प्रार्थीगण प्रत्येक का 3/32–3/32 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि अप्रार्थी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 5 एचएलएम के खाता सं. 62/49 के प.नं. 116/376 (25) किला नं. 21/2 ता 25/2, प.नं. 118/375 (13) किला नं. 16, 25, प.नं. 118/376 (27) किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 2312, 24/2 की कुल 5.137 हैक. कमांड अनकमांड खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि का अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है जिसमें प्रार्थीगण को चक 5 एचएलएम के प.नं. 116/376 (25) किला नं. 13 ता 20, प.नं. 115/376 किला नं. 12, 13, 24/2/.076, 25/21.203, 25/3/.025 की कृषि भूमि प्राप्त हुई थी जिस पर प्रार्थीगण शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प.नं. 115/376 के किला नं. 24, 25 में बजानिब उत्तरी दिशा की तरफ किला नं. 16, 17 के चिपती हुई रिहायशी ढाणींया बनी हुई है। किला नं. 24 में बजानिब [illegible] दिशा में प्रभूदयाल की ढाणी, किला नं. 16 में बजानिब उतरी दिशा में जसवन्त/[illegible]राम [illegible] की ढाणी, किला नं. 17 में बजानिब उतरी दिशा में ओमप्रकाश [illegible] की ढाणी [illegible] किला नं. 25 में बजानिब दक्षिण दिशा में त्रिलोकाराम, हनुमान उर्फ मनिराम वगैरह की ढाणीयां बनी हुई है। प्रार्थीगण अपनी ढाणीयों अपने परिवार सहित निवास करते है। उक्त ढाणीयों के बिल्कुल [illegible] पक्का खाला चल रहा है। उक्त खाला में प.नं. 115/376 किला नं. 16, 25 की सींव [illegible] रास्ता को जोड़ते हुए पुलिया बनी हुई है तथा खाला के चिपते ही अप्रार्थी सं.1 की कृषि भूमि चक 5 एचएलएम के प.नं. 116/376 (25) किला नं. 21 में 0.013 हैक. रास्ता बजानिब पश्चिम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:14:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता वर्षो से चालू है। उक्त चालू रास्ता से ही प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारान अपनी अपनी कृषि भूमि व अपनी ढाणीयों में आना जाना करते है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई सुविधाजनक व वैकल्पिक रास्ता नही है। इसलिये प्रार्थीगण अप्रार्थी सं.1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से चक 5 एचएलएम के प.नं. 116/376 (25) किला नं. 21 में 0.013 हैव. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत करवाने के हकदार है। उक्त रास्ता की एवज में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 1 को प.नं. 116/376 किला नं. 16 ता 20 में 2 फुट चौड़ी और 5 बीघा लम्बी कृषि भूमि पूर्व में ही दे रखी है।

यह कि अप्रार्थी सं. 2 जो कि भू धारक है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया है। यह कि प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से चक 5 एचएलएम के प.नं. 116/376 (25) किला नं. 21 में 0.013 हैव. रास्ता बजानिब पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण लम्बा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता श्री जगराज सिंह भारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है। जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 की और से निम्न प्रकार से है –यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 1 में प्रार्थना पत्र धारा 251–क राकाअधि का पेश होना मात्र स्वीकार है लेकिन उसमें प्रार्थीगण को कामयाबी की कोई सम्भावना नही है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 4 अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो कि दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण को ही प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण के नाम चक 5 एचएलएम के प.नं. 115/376, 116/376, 1171376 की कृषि भूमि रास्ता पर लगती है। प.नं. 1171376 के किला नं. 21 ता 24 की कृषि भूमि रास्ता पर लगती है। प.नं. 115/376 (24) किला नं. 24, 25 की कृषि भूमि रास्ता पर लगती है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि में चक 5 एचएलएम के प.नं. 117/376 के किला नं. 11, 20, 21 में बजानिब पूर्व दिशा उत्तर दक्षिण लम्बा 4 बीघा रास्ता अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिये छोड़ रखा है व इसी रास्ता से प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आना जाना करते है जो प्रार्थीगण के लिये सुविधाजनक व चालू रास्ता है। प्रार्थीगण खाता विभाजन करवाये बिना व रास्ता पर भूमि होने के कारण नये रास्ता की मांग नही कर सकते। धारा 251–क में कृषि भूमि में आने जाने के लिये नया रास्ता स्वीकृत करवाने के लिये है। प्रार्थीगण मुझ अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 5 एचएलएम के प.नं. 116/376 के किला नं. 21 में किसी प्रकार का कोई रास्ता स्वीकृत करवाने के हकदार नही है क्योंकि प्रार्थीगण के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 5 एचएलएम के प.नं. 115/376 के किला नं. 24, 25 व प.नं. 116/376 किला नं. 21 ता 24 रास्ता पर लगते है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मात्र अप्रार्थी को तंग परेशान के आशय से पेश किया है जो काबिल खारिज के है। अप्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता को बन्द करने बाबत कोई धमकी प्रार्थीगण को दी गई है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता कभी चालू नही रहा है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति नही हो रही है व ना ही प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नही है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण शुरू से ही काबिल खारिज के है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया [illegible] रास्ता मौके पर चालू है।

प्रकरण में तससीलदार पीलीबंगा से पत्रांक 7[illegible] दिनांक [illegible] से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीगण [illegible] आने वाली भूमि के समस्त काश्तकारो को पक्षकार नहीं [illegible] द्वारा चाही गई रास्ते की भूमि संयुक्त खाते की है। इस संयुक्त खाते में प.नं. 117/376 [illegible]नं. 21 ता 24 में गै०मु० रास्ता स्वीकृतशुद्धा हैं। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे कम दूरी का है। प्रार्थीगण द्वारा चाही गई रास्ते की भूमि संयुक्त खाते की है। उक्त भूमि को रास्ता लगता है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:14:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा बहस में कथन किया गया कि प्रार्थी किला न. 25 से 16 में प्रवेश कर सकता है। प्रार्थी को स्वीकृत शुद्धा रास्ता लगता है प्रार्थना पत्र खारिज का निवेदन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार का अध्ययन किया गया मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि के समस्त काश्तकारो को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाही गई रास्ते की भूमि संयुक्त खाते की है। इस संयुक्त खाते में प.नं. 117/376 कि.नं. 21 ता 24 में गै०मु० रास्ता स्वीकृतशुद्धा लगता हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क खारिज किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थना पत्र लघुत्तम विकल्प की उपलब्धता, आंत्यातिक आवश्यकता के अभाव में केवल सुविधाजनक रास्ता हेतु प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 28/3/25....सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.04.15 18:14:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner